न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बालोतरा जिला बाड़मेर (राज0)
पीठासीन अधिकारी – श्री उदयभानु चारण आर. ए. एस.
राजस्व लोक अदालत – 2015 केम्प – बाणियावास

मुकदमा नम्बर – 18/2015

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. पपाराम पुत्र सुखारामजी
2. देवा पुत्र सुखारामजी
3. अर्जुनराम पुत्र सुखारामजी
4. ताराराम पुत्र सुखारामजी
5. मोरोदेवी पत्नी सुखारामजी
6. कमला पुत्री सुखाराम

जातियान भील निवासीयान पतासर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

1. पूराराम पुत्र मंगलाराम के का0 मु0
   1/1– रेवतराम पुत्र पूराराम
   1/2– वाली बेवा पूराराम
2. गुणेशाराम पुत्र मंगलारामजी
3. रामचन्द्र पुत्र हरीरामजी
4. रूपाराम पुत्र हरीरामजी
5. सवाराम पुत्र हरीरामजी
6. लंवगो पत्नी हरीरामजी
7. अजाराम पुत्र केसारामजी
8. दुर्गाराम पुत्र हरजीरामजी
9. लेहरो पत्नी हरजीरामजी

जातियान भील निवासीयान रोडवा खुर्द तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

10. राजस्थान सरकार जरीये भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत 2015 बालोतरा

दावा बाबत बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

।। निर्णय ।। दिनांक : **24.06.2015**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित ।

वादी के वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि खेत खसरा नम्बर 163 रकबा 129 बीघा 09 विस्वा सरहद मौजा पतासर में आया हुआ हैं । जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत हैं तथा वींजा पुत्र केसा लाऔलाद फौत हो गया जिसका 1/16 हिस्सा उसके भाई सुखराम व अजाराम में वेस्ट होकर खातेदार काश्तकार हुए, विवादग्रस्त भूमि का 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 3/16 , प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/16 हिस्से खातेदारी का हैं, उपरोक्त हिस्से अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त हैं । पद संख्या 1 में वर्णित भूमि का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जावे ।

... 2

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कूलेक्टर बालोतरा
केम्प 21/6/2015

Scanned by CamScanner

पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प बाणियावास में पेश हुई । वादीगण व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 163 रकबा 129 बीघा 9 बिस्वा में मौजा पतासर के वादीगण संख्या 1 ता 16 का 1/16 + 1/32 = 3/16 हिस्सा घोषित कर भूमि का बंटवाडा कर अलग बट्‌टा नम्बर लगाकर रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का रेकर्ड में बंटवाडा कर अलग बट्‌टा नम्बर लगाकर अमल दरामद किया जावे । हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेज व वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी वाद स्वीकार किया जाता हैं । दोनो पक्षो के मध्य राजीनामा के आधार पर मौजा पतासर के खसरा नम्बर 163 रकबा 129 बीघा 9 विस्वा में वादीगण 1 ता 6 का 1/16 + 1/32 = 3/16 हिस्सा घोषित किया जाकर शेष हिस्सा में प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/16 + 1/32 = 3/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का 1/16 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाता हैं । विभाजन प्रस्ताव तहसीलदारं पचपदरा से मंगवाये जावे । तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिये जाते हैं कि भूमियों का विभाजन राजस्व मण्डल के विभाजन नियमों अनुसार कर आवागन के रास्तो को मध्य नजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करे । प्राथमिक डिगरी पर्चा जारी हो । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करे । पत्रावली बाद तामिल तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2015 को लोक अदालत केम्प बाणियावास में खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर बालोतरा
केम्प 2015

उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत 2015 बालोतरा

Scanned by CamScanner